

## अध्याय 5: आयकर अधिनियम, 1961 में अननुरूपता

**5.1** अधिनियम छूट प्राप्त सत्त्वों के मामले में पिछले वर्षों के घाटे, ऋण के मूल्यहास और पुनर्भुगतान की विशेष रूप से अनुमति नहीं देता। अधिनियम में किसी निश्चित प्रावधान के अभाव में न्यायालयों ने भिन्न दृष्टिकोण अपनाया। आईटीडी ने भी ऋण के मूल्यहास, पुनर्भुगतान और पिछले वर्षों के घाटों को अनुमत करने में एक समान पद्धति को नहीं अपनाया है।

**आईटीडी ने न्यासों को मूल्यहास की अनुमति देने/अनुमति न देने में एकसमान निर्णय नहीं लिया और ₹ 248.39 करोड़ के कर प्रभाव वाले 240 मामलों में अनियमित मूल्यहास की अनुमति दी ।**

### मूल्यहास की अनुमति में अननुरूपता

**5.2** सर्वोच्च न्यायालय<sup>25</sup> ने निर्णय दिया (1993) कि जहाँ पूंजीगत परिसम्पत्ति के संबंध में पूर्ण कटौती अनुमत नहीं है (छूटों से संबंधित धारा के अन्तर्गत), उसी परिसम्पत्ति पर धारा 32 के अन्तर्गत किसी मूल्यहास की अनुमति नहीं होगी। एक मूलभूत सिद्धांत है कि दोहरी कटौती अभिप्रेत नहीं है जब तक असंगति के लिए स्पष्ट सांविधिक संकेत न हो। केरल उच्च न्यायालय ने भी उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन किया था (2012)। तथापि, इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि यदि निर्धारित मूल्यहास का दावा करता है तो धर्मार्थ उद्देश्यों के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध वास्तविक आय को दर्शाने के लिए इसे अपनी आय का भाग बनाने के लिए खाते में मूल्यहास राशि को लिखना चाहिए। अन्यथा, ऐसे काल्पनिक दावे इसके बहीखाते के बाहर के निर्धारित के लिए रोकड़ अधिशेष में लेखांकित नहीं किए जायेंगे।

**5.3** आईटीडी ने ₹ 248.39 करोड़ के कर प्रभाव वाले 240 मामलों में मूल्यहास की अनियमित अनुमति दी और न्यासों के मामलों में मूल्यहास की अनुमति देने/ न देने में एक जैसी कार्रवाई नहीं की थी। (बॉक्स 5.1 देखें)

#### बॉक्स 5.1: निदर्शी मामले

**क.** सीआईटी कोट्टायम, केरल में, मठ अमृतानन्दमई मठ ने न्यास के अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति से आय के प्रति कार्यान्वयन के रूप में निर्धारण वर्ष 07 से निर्धारण वर्ष 09 के दौरान ₹ 138.46 करोड़ के मूल्यहास का दावा किया। यह नियमानुसार नहीं था क्योंकि न्यास ने किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे मूल्यहास को शामिल नहीं किया जिसके लिए इसने ₹ 46.77 करोड़ के सम्भाव्य राजस्व प्रभाव वाले धन के उपयोग के रूप में पहले ही दावा कर लिया था।

**ख.** डीआईटी -ई मुम्बई में निर्धारण अधिकारी ने ₹ 90.30 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 50 मामलों में ₹ 256.66 करोड़ के मूल्यहास की अनुमति दी थी। निर्धारण अधिकारी ने ₹ 9.38 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 10 मामलों में ₹ 27.60 करोड़ के मूल्यहास की अनुमति नहीं दी थी।

<sup>25</sup> एस्कोर्ट बनाम भारत संघ (1993) 199 आईटीआर 43

ग. डीआईटी -ई, अहमदाबाद में निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 08 के दौरान ₹ 52.25 करोड़ का मूल्यहास बैप्स स्वामीनारायण संस्था को अनुमत किया (नवम्बर 2009)। इसके बाद में, डीआईटी -ई, अहमदाबाद ने दोहरी कटौती के आधार पर मूल्यहास को अनुमत नहीं करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सभी निर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी किए (दिसम्बर 2009)।

घ. डीआईटी-ई, दिल्ली में निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 10 के लिए विवेकानन्द शिक्षा समिति को मूल्यहास की अनुमति नहीं दी। तथापि, उसी निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 10 के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मामले में मूल्यहास की अनुमति दी थी।

**5.4 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामले की जाँच की जाएगी।**

**5.5 लेखापरीक्षा का मानना है कि मंत्रालय सैद्धान्तिक रूप से निर्णय ले सकता है कि न्यासों को मूल्यहास की अनुमति दी जाए या विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्यक्त भिन्न दृष्टिकोणों के कारण मूल्यहास की अनुमति में विसंगति को न हटाया जाए।**

**आईटीडी ने ₹ 327.48 करोड़ के कर प्रभाव वाले 110 न्यासों के पिछले वर्षों के घाटे की अनुमति देने / न देने के बारे में एकसमान निर्णय नहीं लिया।**

**पहले के वर्षों में घाटे की अनुमति में विसंगतियाँ**

**5.6** किसी छूट या लाभ का दावा करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए प्रावधान होना चाहिए। जहाँ कहीं भी मांग की गई, ऐसी छूट या लाभ के लिए विशेष रूप से अधिनियम बनाया गया है। चूँकि व्यावसायिक निकायों के लाभों पर कर लगाया जाता है, इन मामलों में घाटे के अग्रेनयन हेतु विशेष रूप से अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम में छूटप्राप्त निकायों के मामले में घाटे के अग्रेनयन की अनुमति नहीं है।

**5.7** न्यायालय ने निर्णय<sup>26</sup> दिया कि निर्धारिती कमी के प्रति आगामी वर्षों में समंजन किए जाने वाले किसी वर्ष में 100% सकल प्राप्ति से अधिक और इससे ऊपर आवेदन के संबंध में दावा कर सकता है। राजस्थान उच्च-न्यायालय<sup>27</sup> ने भी निर्णय दिया कि पहले के वर्षों में दानार्थ या धार्मिक प्रकृति की आय से अधिक व्यय की अधिकृत को चालू वर्ष की आय के प्रति समायोजित किया जा सकता है। ऐसे ही विचार गुजरात उच्च न्यायालय (1995)<sup>28</sup> और बॉम्बे उच्च-न्यायालय (2003)<sup>29</sup> ने व्यक्त किए।

**5.8** हमने देखा कि ₹ 327.48 करोड़ के कर प्रभाव वाले 110 मामलों में आईटीडी ने घाटा समान रूप से अनुमत/नामंजूर नहीं किया था (बॉक्स 5.2 देखें)।

<sup>26</sup> मैत्री सेवा ट्रस्ट बनाम सीआईटी 242 आईटीआर 20 (मद्रास)

<sup>27</sup> सीआईटी बनाम महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन [1987] 164 आईटीआर 439 (राजस्थान)।

<sup>28</sup> सीआईटी बनाम श्री प्लाट श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन मण्डल [1995] 211 आईटीआर 293 (गुजरात)

<sup>29</sup> सीआईटी बनाम बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था 264 आईटीआर 110

**बॉक्स 5.2: निदर्शी मामले**

**क.** डीआईटी-ई, मुंबई में आईटीडी ने 38 मामलों में ₹ 83.52 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले ₹ 245.72 करोड़ के घाटे को अग्रेषित करना अनुमत किया। 36 मामलों में, ₹ 142.90 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले ₹ 420.42 करोड़ के घाटे का अग्रेषण नामजूर किया गया।

**ख.** डीआईटी-ई हैदराबाद में, ए.पी. स्टेट हाऊसिंग कारपोरेशन ने नि.व. 08 को छोड़कर निर्धारण वर्ष 03 से निर्धारण वर्ष 09 के लिए हानियों को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले अपने अस्थायी लेखे प्रस्तुत किए और धारा 143(3) के तहत प्रसंस्करण किया गया। ₹ 158.7 करोड़ की हानियों को अग्रेनयन/पूरा करना अनुमत किया गया जिसमें ₹ 53.34 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है।

**ग.** डीआईटी दिल्ली में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 10 के लिए राम सेवा स्वामी सत्यानन्द न्यास के मामले में पिछले वर्ष घाटे की भरपाई को अनुमत किया। लेकिन उसी निर्धारण अधिकारी ने उसी नि.व. के लिए रामेश्वर दयाल ट्रस्ट के दूसरे मामले में इसे अनुमत नहीं किया।

**5.9** मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए मुद्दे की जाँच की जाएगी।

**5.10** लेखापरीक्षा का यह मानना है कि मंत्रालय सैद्धांतिक रूप से यह निर्णय ले कि ट्रस्ट के मामले में पिछले वर्ष के घाटे को अनुमत करना है अथवा नहीं।

**5.11** मंत्रालय ने यह भी कहा (जुलाई 2013) कि आईटीडी सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी हार गया है और इस मुद्दे पर एसएलपी दायर नहीं करने का फैसला किया है। आईटीडी ने अपना मत दिया कि मुद्दा अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है।

**5.12** लेखापरीक्षा अपना मत दोहराता है कि मंत्रालय "घाटा मुद्दे" से निपटने के लिए एकसमान दृष्टिकोण लाने हेतु एसएलपी के अन्तिम निर्णय के आधार पर निर्देश जारी करे।

**आईटीडी ने ₹ 8.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले 10 ट्रस्टों को आय के अनुप्रयोग के रूप में ऋण की पुनर्दायगी अनुमत की जबकि यह राशि पहले से ही जिस वर्ष संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उधार लिया गया था। उस वर्ष में आय के अनुप्रयोग के रूप में मानी गयी थी।**

**ऋणों की पूर्णअदायगी अनुमत करने में विसंगतियाँ**

**5.13** सीबीडीटी ने स्पष्ट<sup>30</sup> किया (1973) कि ट्रस्ट के एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए मूलरूप से लिए गए ऋण की अदायगी दानार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए आय के उपयोग की धनराशि होगी। राजस्थान उच्च-न्यायालय ने निर्णय<sup>31</sup> दिया कि किसी घाटे या ऋण की पूर्णअदायगी आय के उपयोग के रूप में होनी चाहिए।

**5.14** इस परिपत्र में आय के रूप में ऋण की स्वीकार्यता पर कुछ नहीं कहा गया। घाटा अनुमत करने से कुछ पिछले वर्ष में ट्रस्ट को छूटप्राप्त आय में से घाटा उठाने के रूप में दोहरा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा समान निधि के लिए घाटा अनुमत करने से छूट प्राप्त आय का पुनर्संचयन होता है।

<sup>30</sup> दिनांक 24.01.1973 का परिपत्र सं. 100

<sup>31</sup> सीआईटी बनाम महाराणा ऑफ मेवाड़ चेरिटेबल फाउंडेशन [1987] 164 आईटीआर 439

**5.15** एओज़ ने आय के उपयोग के रूप में ₹ 8.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले 10 मामलों में ऋण की गलत पूर्णअदायगी अनुमत की जबकि यह राशि पहले से ही निर्धारितियों को दोहरा लाभ देने वाली संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उधार लिए गए वर्ष में आय के उपयोग के रूप में मानी गयी थी (बाक्स 5.3 देखें)।

**बॉक्स 5.3: निदर्शी मामला**

सीआईटी त्रिशूर, केरल में नि.अ. ने नि.व. 08 से नि.व. 10 के लिए डिवाइन ट्रस्ट का निर्धारण किया, जिसमें संवीक्षा के पश्चात यह पता चला था कि निर्धारिती ने संपत्ति अधिग्रहण हेतु ऋण लिया था और इसकी लागत लिए गए उधार के उस वर्ष में उपयोग के रूप में मानी गयी थी। इस मामले में, नि.अ. को उपयोग के रूप में ऋण की पूर्णअदायगी अनुमत नहीं करनी चाहिए थी। कुल ₹ 2.31 करोड़ के उपयोग के रूप में दावा किए गए अमान्य ऋण पूर्णअदायगी में ₹ 1.03 करोड़ का कुल कर प्रभाव निहित था।

**5.16** मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि मूलरूप से लिए गए ऋण को उपयोग से पूर्व आय/प्राप्ति के रूप में इसके प्रति किए गए दावे के रूप में माना जाना है। आय के रूप में माने जाने के बिना उपयोग का दावा नहीं किया जा सकता है। बोर्ड के निर्देश में लिए गए ऋण के संबंध में पूर्णअदायगी की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उपयोग का दावा करने से पूर्व इसे प्राप्ति के रूप में दर्शाया जाना था। चूंकि भुगतान की स्वीकार्यता बोर्ड के परिपत्र के अनुसार होगी और चूंकि उल्लिखित मामले में लेखापरीक्षा द्वारा यह नहीं देखा गया कि प्राप्तियों/आय के रूप में ऋण को दर्शाए बिना पिछले वर्षों में उपयोग का दावा किया गया था लेखापरीक्षा की आपत्ति का कोई ठोस आधार नहीं है।

**5.17** मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संवीक्षा निर्धारणों से जुड़े सभी 10 मामलों में ट्रस्टों ने प्राप्तियों/आय के रूप में ऋण नहीं दर्शाया था। 10 मामलों में से आईटीडी ने दो मामलों को मान लिया और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की तथा बाकी मामलों के उत्तर प्रतीक्षित थे। अतः मंत्रालय को चाहिए कि मामलों के तथ्यों की जाँच तथा सुधारात्मक कार्रवाई करे।

**आईटीडी के भीतर कोई आंतरिक तंत्र नहीं है जिससे धारा 80(जी) के तहत पंजीकृत इकाइयों द्वारा जारी प्राप्तियों पर नियंत्रण रखा जा सके। आईटीडी ने 24 ट्रस्टों द्वारा प्राप्त दान का प्रति-सत्यापन नहीं किया।**

**धारा 80(जी) के तहत दान के संबंध में कोई निगरानी प्रणाली न होना**

**5.18** वर्तमान में धारा 80(जी) के तहत पंजीकृत इकाई द्वारा जारी प्राप्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए आईटीडी के पास कोई आंतरिक तंत्र नहीं है। हमने 24 मामले देखे जहाँ आईटीडी ने इकाई द्वारा प्राप्त दान का प्रति सत्यापन नहीं किया (बॉक्स 5.4 देखें)।

**बॉक्स 5.4: निदर्शी मामले**

**क.** डीआईटी -ई, मुम्बई में श्री लालजी वेलजी चैरिटेबल ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 10 के दौरान पाँच संबंधित पार्टियों से कोरपस दान के रूप में ₹ 4.98 करोड़ प्राप्त किये थे। जबकि रिकार्ड में मौजूद दानकर्ताओं के खाते में ऐसी राशि नहीं दर्शायी गयी थी इसका मिलान नहीं किया गया था।

**ख.** तमिलनाडु में, सीआईटी II त्रिचची एवं सीआईटी I मदुरै ने वि.व. 09 से वि.व.11 के दौरान धारा 80जी के तहत अनुमोदन के लिए ट्रस्टों से प्राप्त क्रमशः 115 आवेदनों एवं 410 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया।

थेनी, वार्ड I (1) तथा कुम्बाकोंगम सर्किल- I द्वारा अस्वीकार की गई रिटर्न्स की नमूना जाँच से पता चला कि क्रमशः ₹ 71.75 लाख और ₹ 1.11 करोड़ की सीमा तक के दान ग्यारह ट्रस्टों द्वारा प्राप्त किये गए थे। हालांकि, क्या संबंधित दानकर्ताओं को धारा 80जी के तहत लाभ दिए गए यह जाँच करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है।

ग. आईटीओ 11(1) पुणे में, एक निर्धारित मैट्रिक्स एजुकेशन फाउंडेशन ने नि.व. 09 के दौरान अपने अकेले ठेकेदारों एक जैसे जिसे भवन निर्माण का ठेका दिया गया था, से ₹ 24 लाख का दान प्राप्त किया था। अतिरिक्त आयुक्त की समीक्षा रिपोर्ट में तथ्यों के उल्लेख किए जाने के बावजूद आईटीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि सभी तीनों मामलों में तथ्यों की जाँच की जा रही है।

**5.19** मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि मामलों के अलावा उच्चमूल्य और संदिग्ध सभी मामलों में प्रति सत्यापन नहीं किया जा सकता इनकी जाँच संवीक्षा निर्धारण के दौरान पहले से ही की जा रही है।

**5.20** मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बाक्स 5.4 क और ग के निदर्शी मामले उच्च मूल्य वाले संवीक्षा निर्धारण से संबंधित हैं। इस संबंध में मंत्रालय पुनः निर्देश जारी करे।

**विशिष्ट माध्यम में कोष राशि के निवेश तथा उस पर अर्जित कर ब्याज के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अभाव में नि.अ. ने ₹ 69.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो ट्रस्टों की कोष निधि पर अर्जित ब्याज पर छूट अनुमत कर दी।**

**कोष निधि पर अर्जित ब्याज पर छूट**

**5.21** कोष निधि के निवेश करने और उस पर अर्जित ब्याज को ट्रस्ट की आय के रूप में माना जाय या नहीं, इसके लिए अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधानों के अभाव में, नि.अ. कोष निधि पर अर्जित ब्याज पर छूट अनुमत कर रहे हैं।

**5.22** दो मामलों में हमने देखा कि नि.अ. ने कोष निधि पर ब्याज को ₹ 69.67 करोड़ के कर प्रभाव सहित डीमंड एप्लीकेशन के रूप में माना (बाक्स 5.5 देखें)।

**बॉक्स 5.5: निदर्शी मामला**

डीआईटी-ई, दिल्ली में नि.अ. ने नि.व. 10 के लिए धारा 11(1)(2)(i) के तहत डीमंड एप्लीकेशन के अनुसार कोष निधि पर ब्याज के रूप में **मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना** द्वारा प्राप्त ₹ 43.09 करोड़ अनुमत किया। इसके कारण ₹ 16.42 करोड़ के कर की कम उगाही हुई।

**5.23** मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि धारा 11(5) के अन्तर्गत प्रदान किए गए विशिष्ट माध्यम में ट्रस्ट की निधियों का निवेश केवल आय संग्रहण भाग तक ही प्रतिबंधित नहीं है बल्कि ट्रस्ट की सभी निधियों (कोष सहित) की सीमा तक है। इस प्रकार, निवेश का माध्यम पहले से ही विनिर्दिष्ट है। निदर्शी मामलों में निर्धारित ने ₹ 4308.56 लाख की कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं की, बतायी गई राशि संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कोष निधि पर लगाया गया केवल ब्याज था और इसे खाते में दर्ज किया गया है। इस धनराशि को कोष निधि के साथ वाणिज्य विभाग में रखा गया है। वास्तव में ट्रस्ट को पूरी राशि जारी नहीं की गई क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं थी।

**5.24** मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अर्जित ब्याज भारत की लोक निधि में जमा किया गया था और वर्ष के दौरान अप्राप्त आय के भाग के रूप में माना गया था। करयोग्य आय की गणना में इस राशि का धारा 11(1)(2)(i) के तहत मानित उपयोग के रूप में दावा किया गया था। मंत्रालय दोनों मामलों के तथ्यों की जाँच करे और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करे।

**ट्रस्टों के मामले में टीडीएस की कटौती के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण नि.अ. ने बिना टीडीएस की कटौती के सात मामलों में ट्रस्टों द्वारा व्यय करने की अनुमति दी, जिसमें ₹ 9.49 करोड़ का प्रभाव निहित था,।**

**ट्रस्ट के मामले में स्रोत पर कर की कटौती करने का अधिनियम में प्रावधान न होना**

**5.25** अध्याय IV के तहत आय के संगणना करने वाले सत्वों के लिए लागू धारा 40(ए)(i) के समान न्यासों द्वारा उन खर्चों की अनुमति न देने वाला कोई प्रावधान नहीं है जिन पर टीडीएस न काटा गया हो।

**5.26** ऐसी धनराशियों पर किसी टीडीएस के अभाव में, संवीक्षा करते समय ऐसी राशियों पर अधिकांशतः ध्यान नहीं दिया जाता। ट्रस्टों पर लागू फार्म 10बी या 10बीबी में ऑडिट रिपोर्टों जैसी विधिक आवश्यकताओं में टीडीएस प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में कोई प्रकटीकरण नहीं है। यदि ऐसी धनराशियाँ में टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन करवाया जाता है, आईटीडी को ऐसी धनराशियों को प्रकट करने के लिए एक सरल साधन प्राप्त होगा।

**5.27** सात मामलों में हमने देखा कि नि.अ. ने टीडीएस की कटौती किए बिना ट्रस्टों द्वारा व्यय की अनुमति दी जिसमें ₹ 9.49 करोड़ का कर प्रभाव निहित था (बाक्स 5.6 देखें)।

**बॉक्स 5.6: निदर्शी मामले**

डीईटी-ई, हैदराबाद में एपी स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नि. व. 03 से नि.व. 07 तक और नि.व. 09 के लिए धारा 40(ए)(i) के तहत बताए गए व्यय पर टीडीएस की कटौती नहीं की, हालांकि व्यय की अनुमति नहीं दी गई। इसमें ₹ 4.57 करोड़ का कर प्रभाव निहित था। आईटीडी ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति स्वीकार कर ली।

**5.28** मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए मुद्दे की जाँच की जाएगी।

**5.29** मामलों की जाँच करने के अलावा मंत्रालय सैद्धांतिक रूप से यह निर्णय करे कि ट्रस्ट द्वारा टीडीएस की कटौती की जानी है अथवा नहीं।

**अधिनियम की धारा 10(23सी) के तहत उपधारा (iii)एबी तथा (iii)एसी में किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान/अस्पतालों की आय पर पूरी तरह से छूट शैक्षिक/परोपकारी प्रयोजनों के लिए है, न कि लाभ के उद्देश्य से, जो कि पूरी तरह से या आंशिक रूप में सरकार द्वारा वित्तपोषित हों। हालांकि शब्द "व्यापक रूप से वित्तपोषित" को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ट्रस्टों को कर का लाभ मिला।**

**"व्यापक रूप से वित्तपोषित" वाक्यांश की भिन्न-भिन्न व्याख्या**

**5.30** अधिनियम की धारा 10(23सी) के तहत उपधारा (iii)एबी एवं (iii)एसी में किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थानों की आय पर पूरी तरह से छूट केवल शैक्षिक प्रयोजनों

के लिए है, न कि लाभ के उद्देश्यों के लिए जो कि सरकार द्वारा पूरी तरह से "पर्याप्त रूप से वित्तपोषित" हों। यह किसी अस्पताल या अन्य संस्थान पर भी लागू होता है जो बीमारियों या मानसिक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों को लेते या इलाज करते हैं या परोपकारी प्रयोजनों के लिए लोगों को लेने और इलाज करने पर पूरी तरह छूट-प्राप्त है, न कि लाभ के उद्देश्य से।

**5.31** हालांकि अधिनियम में "व्यापकता या वित्तपोषित" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 2(18)(ए) में रिजर्व बैंक द्वारा एक कम्पनी जिनका शेयर 40% से कम न हो, को "व्यापक रूप से इच्छुक" के रूप में परिभाषित किया जाता है।

**5.32** निम्नलिखित मामलों में सरकार द्वारा ट्रस्ट को वित्तपोषित व्यय की प्रतिशतता देखते समय नि.अ. ने भिन्न-भिन्न निर्णय लिया।

प्रभार	निर्धारिती	नि.व.	कुल व्यय में सरकार का योगदान%	अभ्युक्तियाँ
एडीआईटी-ई, मुम्बई	साधना एजुकेशन ट्रस्ट	नि.व.09	50.00	नि.अ. द्वारा अनुमत नहीं लेकिन सीआईटी (ए) द्वारा अनुमत
डीसीआईटी-2 जलगाँव	खानदेश कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी	नि.व.10	49.00	अनुमत
डीआईटी के अधीन आईटीओ (ई)- II (1)	पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी	नि.व. 10	57.40	अनुमत
डीआईटी-ई, दिल्ली	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ़ैशन टेक्नॉलाजी	नि.व.09	14.00	अनुमत

**5.33** मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए मुद्दे की जाँच की जाएगी।

**अधिनियम की धारा 10 और धारा 11 अतिव्यापी प्रवृत्ति के हैं। 30 मामलों में आईटीडी ने ट्रस्टों को छूट अनुमत किया जिन्होंने विभिन्न निर्धारण वर्षों में धारा 10 (23सी) और 12(ए) दोनों में एक साथ/वैकल्पिक छूट लाभ का दावा किया था।**

**ट्रस्टों को छूट अनुमत करने वाली धारा 11,12 एवं 10 (23सी) में खण्डों में ओवरलैपिंग**

**5.34** अधिनियम की धारा 10 और धारा 11 ओवरलैपिंग प्रवृत्ति की हैं। ऐसी विशिष्टता न होने के कारण ट्रस्ट या संस्थान जो धारा 10 के अन्तर्गत छूट के पात्र नहीं हैं, धारा 11 के अन्तर्गत छूट ले रहे हैं।

**5.35** लोक लेखा समिति (पीएसी) ने धारा 11,12 एवं 10(23सी) में प्रदान की गई छूट की ओवरलैपिंग प्रवृत्ति को हटाने की सिफारिश<sup>32</sup> की। पीएसी ने अपनी 36वीं रिपोर्ट में यह भी देखा था कि अधिनियम की धारा 10(23सी) और धारा 11 एवं 12 की ओवरलैपिंग प्रवृत्ति के कारण निजी शैक्षिक संस्थानों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि शैक्षिक संस्थानों के लिए कर छूट प्रदान करने वाले उपरोक्त प्रावधानों के विलय करने का पीएसी के सुझाव पर विचार करने के लिए इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समूह को भेज दिया गया था। हालांकि, आईटीडी ने धारा 10 और धारा 11 के तहत एक ही समय में एक साथ छूट पर रोक लगाने वाले कानून में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया है।

**5.36** हमने देखा कि 30 मामलों में आईटीडी ने उन ट्रस्टों को छूट अनुमत किया जो विभिन्न निर्धारण वर्षों में 10(23सी) और 12ए दोनों धाराओं में एक साथ/वैकल्पिक रूप से छूट लाभ का दावा कर रहे थे (बॉक्स 5.7 देखें)

**बॉक्स 5.7: निदर्शी मामले**

**क.** डीआईटी-ई, मुम्बई में, आईटीडी ने निर्धारण वर्ष 09 के लिए संस्कार सर्जन एजुकेशन सोसाइटी की धारा 10(23सी) (iiiएबी) के तहत छूट देने से मना कर दिया लेकिन धारा 11 के तहत अनुमत किया था। इसी प्रकार, मुम्बई के दो मामलों में और पुणे के एक मामले में, निर्धारिती एक साथ/वैकल्पिक रूप से छूट-लाभ का दावा कर रहे थे।

सीसीआईटी कोलकाता ने निर्धारण वर्ष 10 से आगे के लिए धारा 10(23सी) (vi) के तहत छूट हेतु निर्धारिती (श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन) का आवेदन खारिज कर दिया। आईटीडी ने नि.व.11 के लिए निर्धारिती को छूट अनुमत किया क्योंकि निर्धारित धारा 12ए के तहत पंजीकृत था।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि धारा 10 (23सी) तथा धारा 11 एवं 12 दोनों के तहत छूटों के क्षेत्र में यद्यपि ओवरलैपिंग पूर्णतः स्पष्ट नहीं है और स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है। संस्कार सर्जन एजुकेशन सोसाइटी के मामले में, धारा 11 के तहत छूट अनुमत की गई थी क्योंकि यह संस्थान धारा 12 ए के तहत पंजीकृत था। सीसीआईटी द्वारा धारा 10(23सी) (vi) की नामंजूरी धारा 11 के तहत ट्रस्ट को स्वतः छूट के हक से वंचित नहीं करना है। धारा 10(23सी) (vi) के तहत आवेदन खारिज किया जा सकता है यदि आवेदक शिक्षा के अलावा अन्य गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। प्रत्येक मामले में तथ्यों की प्रयोज्यता की जांच की जानी होती है।

**5.37** मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि यह संभव है कि धारा 10(23सी) के तहत जहाँ पंजीकरण किया जाता है, अनुमोदन एक विशेष मामले में (जो सीसीआईटी द्वारा दिया गया है) मना कर दिया जाय। यह धारा 10(23सी) के तहत पंजीकरण और अनुमोदन के लिए आवश्यकताएं भिन्न होने के कारण है। धारा 10(23सी) का अनुमोदन पूर्णतः शैक्षिक संस्थानों या परोपकारी अस्पतालों और राज्य या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को दिया जाता है। इस प्रकार धारा 10(23सी) के अनुमोदन के लिए अर्हता पंजीकरण हेतु अर्हता से अधिक प्रतिबंधक है।

<sup>32</sup> "निजी स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटर्स" पर सीएजी की 2004 की एआर सं. 13 पर पीएसी (2006-07) की छत्तीसवीं रिपोर्ट



**5.38** लेखापरीक्षा का मत है कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ एक पूर्णतः शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न है, निर्धारित धारा 11 के तहत छूट ले रहे हैं, जबकि वे धारा 10(23सी) के तहत अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सके। अतः यह स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है कि आवेदकों द्वारा की गई परोपकारी गतिविधियों के प्रवृत्ति के अनुसार अनुमोदन/पंजीकरण के स्तर पर ही अनुमोदन किस धारा के अंतर्गत दिया जाए और केवल संबंधित धारा (अधिनियम की धारा 12 एए के तहत अथवा धारा 10(23सी) के तहत) में पंजीकरण/अनुमोदन पर प्रतिबंध लगाया जाए।

**5.39** मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2013) कि लेखापरीक्षा का मत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता, क्योंकि धारा 12 एए के तहत पंजीकृत होने वाले और साथ ही धारा 10(23सी) के तहत अनुमोदन शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न ट्रस्ट/संस्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, ट्रस्ट को एक साथ ही धारा 10(23सी) के तहत पंजीकरण और अनुमोदन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और यदि यह बाद में धारा 10(23सी) के लिए आवेदन करता है तो उस पर विचार करना पड़ता है, तथा केवल एक आधार पर इसे मना नहीं किया जा सकता कि ट्रस्ट धारा 12 एए के तहत पहले से ही पंजीकृत है।

**5.40** लेखापरीक्षा का मत है कि शैक्षिक संस्थानों के लिए कर छूट देने वाले प्रावधानों का विलय करने के लिए विशेषज्ञ समूह को ध्यानार्थ भेजने को पीएसी के सुझावों द्वारा दिए गये अपने आश्वासन पर मंत्रालय अपना रुख स्पष्ट करे।

**रिटर्न्स के साथ संलग्न किए जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट के विनिर्दिष्ट फार्मों में कमियाँ देखी गईं।**

**रिटर्न्स के साथ संलग्न किए जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट के विनिर्दिष्ट फार्मों में कमियाँ**

**5.41** हमने निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

- क.** धारा 12ए (बी) एवं धारा 10(23सी) के तहत ऑडिट रिपोर्टों के लिए विनिर्दिष्ट फार्म सं. 10 बी एवं 10 बीबी में ट्रस्ट के उद्देश्यों और गतिविधियों की प्रवृत्ति के लिए कॉलम नहीं हैं।
- ख.** फार्मों में धनराशियों के संग्रहण/उपयोग के वर्षवार विवरण के लिए कोई कॉलम नहीं है। निर्धारित अवधि के बाद ऐसी सूचना के अभाव में संग्रहीत निधियों के उपयोग/कराधान का रिकार्ड रखना मुश्किल है।
- ग.** जबकि फार्म 10 बीबी में धारा 115 बीबीसी के दान का विवरण माँगा जाता है, फार्म 10 बी में ऐसी सूचनाएँ दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी।
- घ.** टीडीएस प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में फार्म में कोई उल्लेख नहीं है।

**5.42** मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों की जाँच की जाएगी।

## सिफारिशें

### 5.43 हमने सिफारिश की कि

**क.** मंत्रालय को मूल्यहास, घाटे तथा ऋण की पुर्नादायगी के व्यवहार को कारगर बनाने के लिए अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करना चाहिए।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि मामले की जाँच की जाएगी।

**ख.** दानकर्ताओं के खाते में दान/लेन-देन के समुचित लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा वाले मामलों के दौरान धारा 80जी के तहत प्राप्त बड़े दान की सूचना का सत्यापन करने के लिए मंत्रालय को उचित निर्देश जारी करने चाहिए।

मंत्रालय कोई और निर्देश जारी करने के लिए सहमत नहीं हुआ (मई 2013) क्योंकि संवीक्षा के दौरान नि.अ. द्वारा पहले से ही प्रति-सत्यापन किया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बॉक्स 5.4 क और ग के निर्दर्शी मामले उच्च मूल्य वाले निर्धारण संवीक्षा से संबंधित हैं। मंत्रालय इस संबंध में पुनः निर्देश जारी करे।

मंत्रालय ने यह भी कहा (जुलाई 2013) कि धारा 80जी के तहत प्राप्त या दिये गये दान संवीक्षा के अध्याधीन हैं। एक बार जब ऐसे मामलों का चयन कर लिया जाता है, उपयुक्त मामलों में अनुवर्ती कर्वाइ की जाती है

लेखापरीक्षा अपना मत दोहराता है क्योंकि उठाये गए मामले संवीक्षा निर्धारण से संबंधित हैं।

**ग.** धारा 10(23सी) के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए मंत्रालय "व्यापक रूप से वित्तपोषित" वाक्यांश के लिए उपयुक्त परिभाषा बनाए।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि मामले की जाँच की जाएगी।

**घ.** मंत्रालय ट्रस्टों द्वारा टीडीएस प्रावधानों के अनुपालन हेतु प्रावधानों में उचित संशोधन करने पर विचार करे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उचित तरीके से दर्शाने का प्रावधान किया जाय।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि मामले की जाँच की जाएगी।

**ड.** मंत्रालय ट्रस्टों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फार्मों में उचित बदलाव लाने पर विचार करे।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि फार्म आईटीआर -7 अधिसूचित किया जा रहा है और यदि आवश्यकता होगी तो आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।